[1][Section 109 : Constitution of Appellate Tribunal and Benches thereof

1 Section 109 substituted by The Finance Act, 2023, effective date yet to be notified. Earlier to substitution it read as under:

"Section 109 : Constitution of Appellate Tribunal and Benches thereof

(1) The Government shall, on the recommendations of the Council, by notification, constitute with effect from such date as may be specified therein, an Appellate Tribunal known as the Goods and Services Tax Appellate Tribunal for hearing appeals against the orders passed by the Appellate Authority or the Revisional Authority.

(2) The powers of the Appellate Tribunal shall be exercisable by the National Bench and Benches thereof (hereinafter in this Chapter referred to as "Regional Benches"), State Bench and Benches thereof (hereafter in this Chapter referred to as "Area Benches").

(3) The National Bench of the Appellate Tribunal shall be situated at New Delhi which shall be presided over by the President and shall consist of one Technical Member (Centre) and one Technical Member (State).

(4) The Government shall, on the recommendations of the Council, by notification, constitute such number of Regional Benches as may be required and such Regional Benches shall consist of a Judicial Member, one Technical Member (Centre) and one Technical Member (State).

(5) The National Bench or Regional Benches of the Appellate Tribunal shall have jurisdiction to hear appeals against the orders passed by the Appellate Authority or the Revisional Authority in the cases where one of the issues involved relates to the place of supply.

(6) The Government shall, by notification, specify for each State or Union territory [A]**[****]**, a Bench of the Appellate Tribunal (hereafter in this Chapter, referred to as "State Bench") for exercising the powers of the Appellate Tribunal within the concerned State or Union territory:

[B]**[****]**

[C]**[Provided further** that**]** the Government shall, on receipt of a request from any State Government, constitute such number of Area Benches in that State, as may be recommended by the Council:

[D]**[Provided also** that**]** the Government may, on receipt of a request from any State, or on its own motion for a Union territory, notify the Appellate Tribunal in a State to act as the Appellate Tribunal for any other State or Union territory, as may be recommended by the Council, subject to such terms and conditions as may be prescribed.

(7) The State Bench or Area Benches shall have jurisdiction to hear appeals against the orders passed by the Appellate Authority or the Revisional Authority in the cases involving matters other than those referred to in sub-section (5).

(8) The President and the State President shall, by general or special order, distribute the business or transfer cases among Regional Benches or, as the case may be, Area Benches in a State.

(9) Each State Bench and Area Benches of the Appellate Tribunal shall consist of a Judicial Member, one Technical Member (Centre) and one Technical Member

(State) and the State Government may designate the senior most Judicial Member in a State as the State President.

(10) In the absence of a Member in any Bench due to vacancy or otherwise, any appeal may, with the approval of the President or, as the case may be, the State President, be heard by a Bench of two Members:

Provided that any appeal where the tax or input tax credit involved or the difference in tax or input tax credit involved or the amount of fine, fee or penalty determined in any order appealed against, does not exceed five lakh rupees and which does not involve any question of law may, with the approval of the President and subject to such conditions as may be prescribed on the recommendations of the Council, be heard by a bench consisting of a single member.

(11) If the Members of the National Bench, Regional Benches, State Bench or Area Benches differ in opinion on any point or points, it shall be decided according to the opinion of the majority, if there is a majority, but if the Members are equally divided, they shall state the point or points on which they differ, and the case shall be referred by the President or as the case may be, State President for hearing on such point or points to one or more of the other Members of the National Bench, Regional Benches, State Bench or Area Benches and such point or points shall be decided according to the opinion of the majority of Members who have heard the case, including those who first heard it.

(12) The Government, in consultation with the President may, for the administrative convenience, transfer—

(a) any Judicial Member or a Member Technical (State) from one Bench to another Bench, whether National or Regional; or

(b) any Member Technical (Centre) from one Bench to another Bench, whether National, Regional, State or Area.

(13) The State Government, in consultation with the State President may, for the administrative convenience, transfer a Judicial Member or a Member Technical (State) from one Bench to another Bench within the State.

(14) No act or proceedings of the Appellate Tribunal shall be questioned or shall be invalid merely on the ground of the existence of any vacancy or defect in the constitution of the Appellate Tribunal.”

A Earlier the words "except for the State of Jammu and Kashmir" omitted by Finance Act, 2020 (No. 12 of 2020). It is made effective from 30-06-2020 by Noti. No. 49/2020–Central Tax, dt. 24-06-2020**.** Earlier it was inserted by The CGST (Extension To Jammu And Kashmir) Act, 2017 No. 26 of 2017 w.e.f. 08-07-2017.

B Earlier proviso omitted by Finance Act, 2020 (No. 12 of 2020). It is made effective from 30-06-2020 by Noti. No. 49/2020–Central Tax, dt. 24-06-2020. Earlier it was inserted by The CGST (Extension to Jammu And Kashmir) Act, 2017 (No. 26 of 2017) w.e.f. 08-07-2017. Earlier to omission it read as under:
"**Provided** that for the State of Jammu and Kashmir, the State Bench of the Goods and Services Tax Appellate Tribunal constituted under this Act shall

(1) The Government shall, on the recommendations of the Council, by notification, establish with effect from such date as may be specified therein, an Appellate Tribunal known as the Goods and Services Tax Appellate Tribunal for hearing appeals against the orders passed by the Appellate Authority or the Revisional Authority.

(2) The jurisdiction, powers and authority conferred on the Appellate Tribunal shall be exercised by the Principal Bench and the State Benches constituted under sub-section (3) and sub-section (4).

(3) The Government shall, by notification, constitute a Principal Bench of the Appellate Tribunal at New Delhi which shall consist of the President, a Judicial Member, a Technical Member (Centre) and a Technical Member (State).

(4) On the request of the State, the Government may, by notification, constitute such number of State Benches at such places and with such jurisdiction as may be recommended by the Council, which shall consist of two Judicial Members, a Technical Member (Centre) and a Technical Member (State).

(5) The Principal Bench and the State Bench shall hear appeals against the orders passed by the Appellate Authority or the Revisional Authority; Provided that the cases in which any one of the issues involved relates to the place of supply, shall be heard only by the Principal Bench.

(6) The President shall, from time to time, by a general or special order, distribute the business of the Appellate Tribunal among the Benches and may transfer cases from one Bench to another.

(7) The senior-most Judicial Member within the State Benches, as may be notified, shall act as the Vice-President for such State Benches and shall exercise such powers of the President as may be prescribed, but for all other purposes be considered as a Member.

(8) Appeals, where the tax or input tax credit involved or the amount of fine, fee or penalty determined in any order appealed against, does not exceed fifty lakh rupees and which does not involve any question of law may, with the approval of the President, and subject to such conditions as may be prescribed on the recommendations of the Council, be heard by a single Member, and in all other cases, shall be heard together by one Judicial Member and one Technical Member.

---

be the State Appellate Tribunal constituted under the Jammu and Kashmir Goods and Services Tax Act, 2017:"

C Earlier substituted for "Provided that" by The CGST (Extension to Jammu And Kashmir) Act, 2017 (No. 26 of 2017) w.e.f. 08-07-2017.

D Earlier substituted for "Provided further that" by The CGST (Extension to Jammu And Kashmir) Act, 2017 (No. 26 of 2017) w.e.f. 08-07-2017.

(9) If, after hearing the case, the Members differ in their opinion on any point or points, such Member shall state the point or points on which they differ, and the President shall refer such case for hearing,-

(a) where the appeal was originally heard by Members of a State Bench, to another Member of a State Bench within the State or, where no such other State Bench is available within the State, to a Member of a State Bench in another State;

(b) where the appeal was originally heard by Members of the Principal Bench, to another Member from the Principal Bench or, where no such other Member is available, to a Member of any State Bench,

and such point or points shall be decided according to the majority opinion including the opinion of the Members who first heard the case.

(10) The Government may, in consultation with the President, for the administrative efficiency, transfer Members from one Bench to another Bench:

Provided that a Technical Member (State) of a State Bench may be transferred to a State Bench only of the same State in which he was originally appointed, in consultation with the State Government.

(11) No act or proceedings of the Appellate Tribunal shall be questioned or shall be invalid merely on the ground of the existence of any vacancy or defect in the constitution of the Appellate Tribunal.**]**

[1][धारा 109 : अपील अधिकरण और उसकी न्यायपीठों का गठन

---

1 वित्त अधिनियम, 2023 द्वारा धारा 109 प्रतिस्थापित। यह संशोधन अभी प्रभावशील नहीं किया गया है। प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार था :

धारा 109 : अपील अधिकरण और उसकी न्यायपीठों का गठन

(1) सरकार, अपील प्राधिकारी या पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई के लिए, परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचना द्वारा ऐसी तारीख से, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाए, माल और सेवा कर अपील अधिकरण के नाम से ज्ञात एक अपील अधिकरण का गठन करेगी।

(2) अपील अधिकरण की शक्तियां राष्ट्रीय न्यायपीठ और उसकी न्यायपीठों (जिन्हें इस अध्याय में इसके पश्चात् ''प्रादेशिक न्यायपीठे'' कहा गया है), राज्य न्यायपीठ और उसकी न्यायपीठों (जिन्हें इस अध्याय में इसके पश्चात् ''क्षेत्रीय न्यायपीठें'' कहा गया है) द्वारा प्रयोक्तव्य होंगी।

(3) अपील अधिकरण की राष्ट्रीय न्यायपीठ नई दिल्ली में स्थित होगी, जिसकी अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा की जाएगी और वह एक तकनीकी सदस्य (केन्द्रीय) और एक तकनीकी सदस्य (राज्य) से मिलकर बनेगी।

(4) सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचना द्वारा उतनी संख्या में प्रादेशिक न्यायपीठों, जितनी अपेक्षित हों, का गठन करेगी और ऐसी प्रादेशिक न्यायपीठें एक न्यायिक सदस्य, एक तकनीकी सदस्य (केन्द्रीय) और एक तकनीकी सदस्य (राज्य) से मिलकर बनेगी।

(5) अपील अधिकरण की राष्ट्रीय न्यायपीठ या क्षेत्रीय न्यायपीठें उन मामलों में जहां अन्तर्वलित मुद्दों में एक पूर्ति के स्थान से संबंधित है, अपील प्राधिकारी या पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपील की सुनवाई के संबंध में अधिकारिता रखेंगी।

(6) सरकार, अधिसूचना द्वारा [A][......] प्रत्येक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के लिए संबंधित राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के भीतर अपील अधिकरण की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अपील अधिकरण की न्यायपीठ (जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् ''राज्य न्यायपीठ'' कहा गया है) विनिर्दिष्ट करेगी :

[B][.........]

[C][**परन्तु** यह और कि] सरकार किसी राज्य सरकार से आवेदन की प्राप्ति पर उस राज्य में उतनी संख्या में क्षेत्रीय न्यायपीठों का गठन करेगी जितनी की सिफारिश परिषद् द्वारा की जाए :

[D][**परन्तु** यह भी कि] सरकार किसी राज्य से आवेदन की प्राप्ति पर या किसी संघ राज्यक्षेत्र के लिए स्वप्रेरणा से किसी राज्य के अपील अधिकरण को किसी अन्य राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के लिए कार्य करने हेतु, ऐसे निबंधन और शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, परिषद् की सिफारिश पर अधिसूचित कर सकेगी।

(7) उपधारा (5) में निर्दिष्ट विषयों को अन्तर्वलित करने वाले मामलों से भिन्न मामलों में अपील प्राधिकारी या पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों के विरूद्ध अपीलों की सुनवाई की अधिकारिता राज्य न्यायपीठ या क्षेत्रीय न्यायपीठ को होगी।

(8) अध्यक्ष और राज्य अध्यक्ष, साधारण या विशेष आदेश द्वारा किसी राज्य में, यथास्थिति, प्रादेशिक न्यायपीठ या क्षेत्रीय न्यायपीठ के बीच कारबार या मामलों का वितरण करेंगे।

(9) अपील अधिकरण की प्रत्येक राज्य न्यायपीठ और क्षेत्रीय न्यायपीठें, एक न्यायिक सदस्य, एक तकनीकी सदस्य (केन्द्रय) और एक तकनीकी सदस्य (राज्य) से मिलकर बनेंगी और राज्य सरकार किसी राज्य में ज्येष्ठतम न्यायिक सदस्य को राज्य अध्यक्ष के रूप में अभिहित कर सकेगी।

(10) रिक्ति या अन्यथा के कारण किसी न्यायपीठ में किसी सदस्य की अनुपस्थिति में, यथास्थिति, अध्यक्ष या राज्य अध्यक्ष के अनुमोदन से काई अपील दो सदस्यों की न्यायपीठ द्वारा सुनी जा सकेगी :

(1) सरकार, अधिसूचना द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर अपील प्राधिकारी या पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई के लिए माल और सेवा कर अपील अधिकरण से ज्ञात एक अपील अधिकरण ऐसी तारीख से, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाए, स्थापित करेगी।

(2) अपील अधिकरण प्रदत्त अधिकारिता, शक्तियां और प्राधिकार का प्रयोग उपधारा (3) और उपधारा (4) के अधीन गठितप्रधान न्यायपीठों द्वारा किया जाएगा।

परन्तु जहां अन्तर्वलित कर या इनपुट कर प्रत्यय में अंतर या अपील किए गए आदेश में अवधारित जुर्माने, फीस या शास्ति की रकम पांच लाख रुपए से अधिक नहीं है और जिसमें विधि का कोई प्रश्न अन्तर्वलित नहीं है, अध्यक्ष के अनुमोदन से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो परिषद् की सिफारिशों पर विहित की जाएं, अपील की सुनवाई एक सदस्यीय न्यायपीठ द्वारा की जा सकेगी।

(11) यदि राष्ट्रीय न्यायपीठ, प्रादेशिक न्यायपीठ, राज्य न्यायपीठ या क्षेत्रीय न्यायपीठ के सदस्य किन्हीं बिन्दु या बिन्दुओं पर राय में भिन्नता रखते हो तो उसका विनिश्चय बहुमत की राय के अनुसार किया जाएगा, यदि बहुमत हो, किन्तु यदि सदस्य समान रूप से विभाजित हैं तो वे उन बिन्दु या बिन्दुओं का कथन करेंगे, जिन पर उनका मत भिन्न है और मामला राष्ट्रीय न्यायपीठ, प्रादेशिक न्यायपीठ, राज्य न्यायपीठ या क्षेत्रीय न्यायपीठ के एक या अधिक सदस्यों को, ऐसे बिन्दु या बिन्दुओं पर सुनवाई के लिए, यथास्थिति, अध्यक्ष या राज्य अध्यक्ष द्वारा निर्दिष्ट किया जाएगा और ऐसे बिन्दु या बिन्दुओं पर विनिश्चय उन सदस्यों के बहुमत की राय के अनुसार किया जाएगा जिन्होंने मामले की सुनवाई की है, जिसके अन्तर्गत वे सदस्य सम्मिलित है जिन्होंने उसे सबसे पहले सुना था।

(12) सरकार, अध्यक्ष के परामर्श से, प्रशासनिक सुविधा के लिए निम्नलिखित का स्थानांतरण कर सकेगी,–

(क) किसी न्यायिक सदस्य या तकनीकी सदस्य (राज्य) का,एक न्यायपीठ से दूसरी न्यायपीठ में चाहे राष्ट्रीय या प्रादेशिक हो; या

(ख) किसी तकनीकी सदस्य (केन्द्रीय) या तकनीकी सदस्य (राज्य) का एक न्यायपीठ से दूसरी न्यायपीठ में चाहे राष्ट्रीय, प्रादेशिक, राज्य या क्षेत्रीय हो।

(13) राज्य सरकार, राज्य अध्यक्ष के परामर्श से प्रशासनिक सुविधा के लिए राज्य के भीतर किसी न्यायिक सदस्य या तकनीकी सदस्य (राज्य) का एक न्यायपीठ से दूसरी न्यायपीठ में स्थानांतरण कर सकेगी।

(14) अपील अधिकरण का कोई कृत्य या कार्यवाहियां अपील अधिकरण के गठन में मात्र किसी त्रुटि या रिक्ति के विद्यमान रहने के आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएंगी या अविधिमान्य नहीं मानी जाएंगी।

A वित्त अधिनियम, 2020 (2020 का क्रमांक 12) द्वारा शब्द ''जम्मू–कश्मीर राज्य के सिवाय'' विलोपित। अधिसूचना क्रमांक 49/2020–केन्द्रीय कर, दिनांक 24.06.2020 द्वारा इसको दिनांक 30.06.2020 से प्रभावशील किया गया। पूर्व में केन्द्रीय माल और सेवा कर (जम्मू–कश्मीर राज्य पर विस्तार) अधियिम, 2017 द्वारा अंतःस्थापित किये गये थे। (प्रभावशील दिनांक 08.07.2017)।

B वित्त अधिनियम, 2020 (2020 का क्रमांक 12) द्वारा परंतुक विलोपित। अधिसूचना क्रमांक 49/2020–केन्द्रीय कर, दिनांक 24.06.2020 द्वारा इसको दिनांक 30.06.2020 से प्रभावशील किया गया। केन्द्रीय माल और सेवा कर (जम्मू–कश्मीर राज्य पर विस्तार) अधिनियम, 2017 द्वारा अंतःस्थापित किया गया था (प्रभावशील दिनांक 08.07.2017)। विलोपन के पूर्व यह इस प्रकार था :

''परन्तु जम्मू–कश्मीर राज्य के लिए, इस अधिनियम के अधीन गठित माल और सेवा कर अपील अधिकरण की राज्य न्यायपीठ, जम्मू–कश्मीर माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अधीन गठित राज्य अपील अधिकरण होगा :''

C केन्द्रीय माल और सेवा कर (जम्मू–कश्मीर राज्य पर विस्तार) अधिनियम, 2017 (2017 का क्रमांक 26) ''परन्तु'' के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 08.07.2017)।

D केन्द्रीय माल और सेवा कर (जम्मू–कश्मीर राज्य पर विस्तार) अधिनियम, 2017 (2017 का क्रमांक 26) ''परन्तु यह और कि'' के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 08.07.2017)।

(3) सरकार, अधिसूचना द्वारा, अपील अधिकरण की नई दिल्ली में प्रधान न्यायपीठ का गठन करेगी, जो अध्यक्ष, एक न्यायिक सदस्य, एक तकनीकी सदस्य (केंन्द्रीय) और एक तकनीकी सदस्य (राज्य) से मिलकर बनेगी।

(4) सरकार, राज्य के अनुरोध पर, अधिसूचना द्वारा ऐसी संख्या में, ऐसे स्थानों पर और ऐसी अधिकारिता के साथ, जो परिषद् द्वारा सिफारिश की जाए, राज्य न्यायपीठों का गठन कर सकेगी, जो दो न्यायिक सदस्यों, एक तकनीकी सदस्य (केंन्द्रीय) और एक तकनीकी सदस्य (राज्य) से मिलकर बनेगी।

(5) प्रधान न्यायपीठ और राज्य न्यायपीठ अपील प्राधिकरण या पुनर्रीक्षण द्वारा पारित आदेशों के विरुद्व अपीलों की सुनवाई करेंगी :

परंतु ऐसे मामले, जिनमें से कोई एक मुद्दा आपूर्ति के स्थान से संबंधित है, कि अपील प्रधान न्यायपीठ में की जाएगी।

(6) अध्यक्ष, समय—समय पर, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, न्यायपीठों के बीच अपील अधिकरण के कारबार का वितरण करेगा और एक न्यायपीठ से दूसरी न्यायपीठ में मामलों का अंतरण कर सकेगा।

(7) राज्य न्यायपीठों के भीतर ज्येष्ठतम न्यायिक सदस्य, जो अधिसूचित किया जाए, ऐसे राज्य न्यायपीठों के लिए उपाध्यक्ष के रुप में काम करेगा और वह अध्यक्ष की ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा, जो विहित की जाए, किन्तु सभी अन्य प्रयोजनों के लिए उसे एक सदस्य ही समझा जाएगा।

(8) अपीलें, जिसमें अंतर्वलित कर या इनपुट कर प्रत्यय या जुर्माने, फीस या किसी आदेश, जिसके विरुद्व अपील की गई है, में अवधारित शास्ति की रकम पचास लाख रुपए से अधिक नहीं है और जिसमें विधि का प्रश्न अंतर्वलित नहीं है, अध्यक्ष के अनुमोदन से और ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो परिषद् की सिफारिशों पर विहित की जाएं, एकल सदस्य द्वारा सुनी जा सकेगी और अन्य सभी मामलों में, एक न्यायिक सदस्य और एक तकनीकी सदस्य द्वारा मिलकर सुनी जाएगी।

(9) मामले की सुनवाई के पश्चात्, यदि सदस्यों की राय में किसी बिंदु या किन्हीं बिंदओं पर भिन्नता है तो ऐसे सदस्य ऐसे बिंदु या बिंदओं का कथन करेंगे, जिन पर वे भिन्नता रखते हैं और अध्यक्ष ऐसे मामले को सुनवाई के लिए,—

(क) जहां कोई अपील किसी राज्य के भीतर किसी राज्य न्यायपीठ के सदस्यों द्वारा राज्य न्यायपीठ के अन्य सदस्यों के लिए मूलतः सुनवाई की गई थी, जहां राज्य के भीतर कोई अन्य राज्य न्यायपीठ उपलब्ध नहीं है, अन्य राज्य में किसी राज्य न्यायपीठ के किसी सदस्य को निर्दिष्ट की जाएगी;

(ख) जहां अपील की सुनवाई मूलतः प्रधान न्यायपीठ के सदस्यों द्वारा की गयी थी, प्रधान न्यायपीठ के किसी अन्य सदस्य को या जहां ऐसा अन्य सदस्य उपलब्ध नहीं है, किसी राज्यपीठ के सदस्य को,

निर्दिष्ट की जाएगी और ऐसे बिंदु या बिंदओं का बहुमत के अनुसार विनिश्चय किया जाएगा, जिसके अंतर्गत उन सदस्यों, जिन्होंने मामले को प्रथम बार सुना था, की राय भी सम्मिलित है।

(10) सरकार, अध्यक्ष के परामर्श से, प्रशासनिक दक्षता के लिए, सदस्यों को एक न्यायपीठ से अन्य न्यायपीठ को अंतरित कर सकेगी :

परंतु राज्य न्यायपीठ के किसी तकनीकी सदस्य (राज्य) को केवल उसी राज्य में, जिसमें वह मूलतः नियुक्त किया गया था, राज्य सरकार के परामर्श से, राज्य न्यायपीठ में अंतरित किया जा सकेगा।

(11) अपील अधिकरण का कोई कृत्य या कार्यवाही, अपील अधिकरण के गठन में किसी रिक्ती या त्रुटि की विद्यमानता के आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी या अविधिमान्य नहीं मानी जाएगी।**]**

www.cggst.com